उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
सं0-23/2022/1866/तीस-4-2022-30-4099(099)/229/22
लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 51-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित "निक्षेप प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष नया यान क्रय किये जाने के पश्चात उसके रजिस्ट्रीकरण पर, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान कर में पन्द्रह वर्ष तक एक बारीय कर का पन्द्रह प्रतिशत और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (2) तथा (2क) के अधीन आठ वर्ष तक संदेय कर का दस प्रतिशत छूट "निक्षेप प्रमाण पत्र" के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 23/2022/1866(1)/तीस-4-2022-30-4099(099)/229/22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 23/2022/1866(2)/तीस-4-2022-30-4099(099)/229/22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 28 नवम्बर, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 23/2022/1866(3)/तीस-4-2022-30-4099(099)/229/22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6- सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 23/2022/1866/XXX-4-2022-30-4099(099)/229/22, dated 28 November, 2022

Notification

No.23/2022/1866/XXX-4-2022-30-4099(099)/229/22
Lucknow: Dated 28 November, 2022

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (UP Act No. 21 of 1997), read with rule 51-A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor is pleased to give concession for a period of one year from the date of "Certificate of Deposit" in the motor vehicle tax under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 of 15 percent of one time tax upto fifteen years and under sub-section (2) and (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 of 10 percent of tax payable upto eight years on registration of new vehicle after purchasing against submission of "Certificate of Deposit" as defined in clause (c) of sub rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping facilitiy) Rules, 2021.

By order,

L.Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।